कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 37/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना – पवई, जनपद – आजमगढ़

किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना / इतिहास:-

दिनांक 24.01.2026 को थाना पवई पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि अभियुक्त आलोक रंजन पुत्र रामदुलार यादव, निवासी रामनगर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 0013/2026, धारा 137(2), 87, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 7/8 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 25.01.2026 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त आलोक रंजन पुत्र रामदुलार यादव को कलान चौराहा से समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. आलोक रंजन पुत्र रामदुलार यादव, निवासी रामनगर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 0013/2026, धारा 137(2)/87/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट,थाना पवई, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. व0उ0नि0 गोपाल जी(थाना पवई, जनपद आजमगढ़)
02. का0 अमित पाल(थाना पवई, जनपद आजमगढ़)
03. का0 बृजेश सरोज(थाना पवई, जनपद आजमगढ़)

प्रेस-नोट

थाना – बरदह, जनपद – आजमगढ़

थाना बरदह पुलिस द्वारा चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के एक अदद गैस सिलेंडर (इंडेन कम्पनी), एक अदद इन्वर्टर (माइक्रोटेक), एक अदद बैटरी (एक्साइड कम्पनी) बरामद किया गया।

पूर्व की घटना / इतिहास:-

दिनांक 12.12.2025 को वादी मुकदमा हरीलाल राम पुत्र बसन्ता राम, निवासी कम्पोजिट विद्यालय कम्मरपुर, ठेकमा, आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि दिनांक 08.12.2025 को प्रातः लगभग 08:40 बजे जब वे विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय के गेट का ताला तोड़कर 03 पंखे, 01 गैस सिलेंडर, 01 बोरी गेहूं, 01 UPS बैटरी तथा 01 इन्सिनिरेटर मशीन चोरी कर ली गई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 383/2025, धारा 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण:-

दिनांक 25.01.2026 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति चोरी का गैस सिलेंडर, इन्वर्टर एवं बैटरी लेकर बौवापार गेट पर बेचने हेतु सवारी का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बौवापार गेट पर दबिश दी गई और दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया। जामा तलाशी व पूछताछ के दौरान प्रथम व्यक्ति ने अपना नाम अंकित कुमार पुत्र मनोज कुमार, निवासी महुवारी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 22 वर्ष) बताया, जिसके कब्जे से एक अदद गैस सिलेंडर (इंडेन कम्पनी), एक अदद इन्वर्टर माइक्रोटेक बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम इन्दल कुमार पुत्र प्रकाश राम, निवासी महुआरी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 25 वर्ष) बताया, जिसके कब्जे से एक अदद एक्साइड बैटरी (FEMO-JMTT2300) बरामद हुई। चोरी की बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्तों को समय 05:15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सामान के संबंध में अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने दिनांक 07/08-12-2025 की रात्रि में कम्पोजिट विद्यालय कम्मरपुर से गैस सिलेंडर, UPS बैटरी व पंखों की चोरी की थी। पंखे, UPS बैटरी व अन्य लोहे की मशीन को कबाड़ी को बेचकर प्राप्त धनराशि खाने-पीने में खर्च कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त इन्वर्टर व बैटरी को लगभग 10–15 दिन पूर्व ग्राम दिक्षितपुर में एक बंद घर से छत के रास्ते प्रवेश कर चोरी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. अंकित कुमार पुत्र मनोज कुमार, निवासी महुवारी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
02. इन्दल कुमार पुत्र प्रकाश राम, निवासी महुआरी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद गैस सिलेंडर (इंडेन कम्पनी)
02. एक अदद इन्वर्टर (माइक्रोटेक)
03. एक अदद बैटरी (एक्साइड कम्पनी)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव(थाना बरदह, जनपद आजमगढ़)
02. हे0का0 नागेन्द्र पटेल(थाना बरदह, जनपद आजमगढ़)
03. हे0का0 दिनेश कुमार(थाना बरदह, जनपद आजमगढ़)
04. का0 पंकज यादव(थाना बरदह, जनपद आजमगढ़)

प्रेस नोट
थाना – बरदह, जनपद – आजमगढ़
साइबर फ्रॉड के 44,126/- रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराया गया।

पूर्व की घटना का विवरण:-

दिनांक 13.08.2025 को प्रीती पत्नी अजय, निवासी बड़गहन, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के साथ अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कुल 1,28,000/- रुपये की ठगी की गई थी।

उक्त संबंध में पीड़िता द्वारा दिनांक 02.09.2025 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 23108250124292 पंजीकृत कराई गई। तत्पश्चात थाना बरदह पर पीड़िता की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 269/2025, धारा 318(4) बीएनएस व 66-D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर हेल्प डेस्क टीम, थाना बरदह द्वारा अभियुक्त के बैंक खाते में उपलब्ध 44,126/- रुपये को होल्ड कराया गया। मा0 न्यायालय से फंड रिलीज आदेश प्राप्त होने के पश्चात संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त धनराशि को पीड़िता के बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिया गया।

साइबर फ्रॉड करने के प्रमुख तरीके:-

➡ व्हाट्सएप/वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देना।

➡ फर्जी प्रोफाइल बनाकर भावनात्मक या भयभीत कर धन की मांग करना।

➡ ओटीपी/लिंक भेजकर बैंक अथवा डिजिटल भुगतान से धन निकालना।

➡ फर्जी कस्टमर केयर या पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करना।

साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय:-

➡ किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या वीडियो कॉल पर विश्वास न करें।

➡ ओटीपी, बैंक विवरण, पासवर्ड किसी से साझा न करें।

➡ धमकी या ब्लैकमेल की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। शीघ्र शिकायत के लिए www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराएं।

➡ सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें।

पुलिस टीम:-
श्री राजीव कुमार सिंह – थानाध्यक्ष, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
उ0नि0 मनीष सिंह – थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
आ0 विवेक गिरी – थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
म0आ0 मनीषा यादव – थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

मोटर चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की संपत्ति बरामद

पूर्व की घटना / पृष्ठभूमि–

दिनांक 05.01.2026 को वादी मुकदमा शरद कुमार राय पुत्र श्री शिवमूर्ति राय निवासी ग्राम/पोस्ट सरायमोहन, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि उनका दो हार्स पावर का मोटर पम्प अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसमें मोटर के ऊपर लगा लोहे का बॉक्स एवं दो बंडल तार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक दिन पूर्व ग्राम खर्राट निवासी शिवम राय (राहुल) पुत्र स्व0 सर्वेश राय का भी दो हार्स पावर का मोटर पम्प चोरी हो गया था। दोनों घटनाएं एक ही गिरोह द्वारा कारित की गई प्रतीत होने पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 05/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण / गिरफ्तारी–

दिनांक 25.01.2026 को थाना बरदह पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर

1. सूरज उर्फ एसपी पुत्र तहसीलदार
2. रोहित बिन्द पुत्र उमाशंकर

   दोनों निवासी ग्राम फतुही, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को पूछताछ हेतु थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने लगभग 5–6 माह पूर्व जयप्रकाश राय महाविद्यालय से एक इन्वर्टर, एक बैटरी एवं एक मोटर पम्प चोरी किया था तथा जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ग्राम खर्राट एवं सरायमोहन के सिवान से दो मोटर पम्प चोरी किए थे, जिन्हें फेरी करने वाले कबाड़ियों को बेच दिया गया। शेष सामान को ग्राम महुजा स्थित चीनी मिल के खंडहर में छिपाकर रखा गया था।

अभियुक्तों की निशानदेही पर संबंधित मुकदमे से जुड़े दो अदद मोटर पम्प के पार्ट, एक अदद चोरी की ल्यूमिनस बैटरी, एक अदद ल्यूमिनस इन्वर्टर तथा एक अदद लीडर मोटर पम्प बरामद किया गया। अभियुक्तों को समय 12:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. सूरज उर्फ एसपी पुत्र तहसीलदार निवासी ग्राम फतुही, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. रोहित बिन्द पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम फतुही, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण–

1. दो अदद मोटर पम्प के पार्ट (मु0अ0सं0 05/2026 से संबंधित)
2. एक अदद चोरी की ल्यूमिनस बैटरी
3. एक अदद ल्यूमिनस इन्वर्टर
4. एक अदद लीडर मोटर पम्प

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह
2. का0 विद्याकान्त, थाना बरदह
3. का0 सूरज सिंह, थाना बरदह
4. का0 बाल्मिकी निषाद, थाना बरदह

प्रेस-नोट

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

जायजाद विवाद में पिता की हत्या का खुलासा, पुत्र गिरफ्तार, आला-ए-कत्ल बरामद

थाना बरदह पुलिस द्वारा जायजाद विवाद में पिता की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.01.2026 को ग्राम राजेपुर निवासी वादी मुकदमा सुजीत राय द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जांच-पड़ताल के दौरान ज्ञात हुआ कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं है तथा जायजाद को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 25/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण / गिरफ्तारी–

विवेचना के क्रम में अभियुक्त अजीत राय उर्फ टप्पू पुत्र स्व0 रामाश्रय राय का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 25.01.2026 को थानाध्यक्ष बरदह द्वारा अभियुक्त को त्रिवेणी मोड़ से समय 11:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का बसूला (लकड़ी का हत्था लगा) बरामद किया गया।

बरामदगी–

• एक अदद लोहे का बसूला (आला-ए-कत्ल)

गिरफ्तार अभियुक्त–

अजीत राय उर्फ टप्पू पुत्र स्व0 रामाश्रय राय निवासी – ग्राम राजेपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह
2. का0 पवन भारतीया
3. का0 राजेन्द्र कुशवाहा
4. का0 त्रिलोकी नाथ पाण्डेय थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – पवई, जनपद – आजमगढ़

पीड़िता के साथ अश्लील हरकत एवं जान से मारने का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास:-

दिनांक 24.01.2026 को थाना पवई पर एक लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र स्व0 दुखी, निवासी उसरोली सुकरना कला, थाना सरपतहा, जिला जौनपुर द्वारा एक पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की गई तथा जान से मारने की नीयत से उस पर पत्थर से हमला किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 0014/2026, धारा 76/109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 24.01.2026 को ही उक्त घटना के पश्चात आसपास के लोगों द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल ग्राम खण्डौरा से पकड़कर थाना पवई लाया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर समय करीब 17:00 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. चन्द्रभान पुत्र स्व0 दुखी,निवासी – उसरोली सुकरना कला,थाना – सरपतहा, जिला – जौनपुर, उम्र लगभग 39 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 0014/2026, धारा 76/109(1) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना – निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
जानलेवा हमला व पुलिस पर पथराव की घटना का अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत आपसी विवाद के दौरान जानलेवा हमला करने एवं पुलिस टीम पर पथराव कर उपद्रव फैलाने की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.11.2025 को ग्राम गंधुवई में मारपीट की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया गया, इसी दौरान अभियुक्तगण व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर सड़क जाम कर पुलिस बल एवं आस-पास खड़ी गाड़ियों पर जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी की गई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 374/25 विभिन्न गंभीर धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसमें 09 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 25.01.2026 को थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शाहिद पुत्र स्व0 सत्तार निवासी ग्राम गंधुवई, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 30 वर्ष) को गंधुवई नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए समय 12:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

शाहिद पुत्र स्व0 सत्तार निवासी – ग्राम गंधुवई, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 374/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 325, 351(3), 121(1), 121(2), 125, 132 बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा
2. का0 प्रशांत सरोज, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट
दिनांक – 24.01.2026
जनपद – आजमगढ़
बन्धुआ श्रम उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 12 श्रमिक कराए गए मुक्त

निदेशक, मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी. के पर्यवेक्षण में बाल श्रम एवं बन्धुआ श्रम अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत थाना एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना अहरौला क्षेत्र स्थित **MS AS ईंट भट्ठा उद्योग, चौफाला शम्साबाद** पर छापेमारी कर बन्धुआ श्रम में कार्यरत **12 श्रमिकों को मुक्त कराया गया।**

कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण–

प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया तथा भट्ठा मालिक से श्रमिकों को उनकी उचित मजदूरी एवं किराया दिलवाया गया। मुक्त कराए गए सभी श्रमिकों को सुरक्षित साधनों द्वारा उनके गृह जनपद **विलासपुर, छत्तीसगढ़** भेजने की व्यवस्था कराई गई। उक्त प्रकरण में संबंधित भट्ठा मालिक के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई।

जागरूकता अभियान–

संयुक्त टीम द्वारा आस-पास के बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को बाल श्रम एवं बन्धुआ श्रम न कराने के प्रति

जागरूक किया गया। मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट/ढाबों, बेकरी, ऑटोमोबाइल दुकानों, गैराज आदि स्थानों पर जागरूकता पोस्टर चस्पा किए गए तथा शासन/प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर **108, 112, 1090, 1930, 1098, 1076, 181** के बारे में आमजन को जानकारी दी गई।

अभियान में सम्मिलित अधिकारी/कर्मचारी–

1. प्र0नि0 अभयराज मिश्र, थाना ए.एच.टी., आजमगढ़
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार, थाना ए.एच.टी., आजमगढ़
3. श्री रोहित प्रताप सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आजमगढ़
4. मो0 नजरे आलम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आजमगढ़
5. का0 अश्वनी कुमार भारती, थाना ए.एच.टी., आजमगढ़
6. म0का0 मन्दाकिनी यादव, थाना ए.एच.टी., आजमगढ़

जनपद पुलिस एवं श्रम विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रेस-नोट

थाना – ए0एच0टी0, जनपद – आजमगढ़

02 वर्ष से अधिक समय से अपहृता किशोरी की सफल बरामदगी, परिजनों से मिलाया गया

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे **विवेचना निस्तारण अभियान** के अन्तर्गत अपहृता/गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में थाना ए0एच0टी0 आजमगढ़ पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरण–

वर्ष 2023 में थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 **288/23 धारा 363/366 भादवि** से सम्बन्धित ग्राम राजापुर, पोस्ट हुब्बीगंज, थाना दीदारगंज की निवासी अपहृता किशोरी, जिसकी बरामदगी लम्बे समय से लंबित थी, को दिनांक **23.01.2026** को **रेलवे स्टेशन, जनपद आजमगढ़** से सकुशल बरामद कर परिजनों/सम्बन्धित के सुपुर्द किया गया।

घटना का अनावरण–

प्रकरण में पीड़िता के मोबाइल नम्बर की तकनीकी जांच के दौरान पूर्व में उसका लोकेशन मानखुर्द, मुम्बई (महाराष्ट्र) प्राप्त हुआ था। दिनांक 23.01.2026 को पुनः लोकेशन प्राप्त होने पर पीड़िता की उपस्थिति रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर पाए जाने की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर थाना ए0एच0टी0 की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया एवं नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

अन्य तथ्य–

उक्त प्रकरण में नामजद अभियुक्त अशफाक अहमद पुत्र सेराज अहमद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से गिरफ्तारी पर पूर्व में स्थगनादेश (स्टे) प्राप्त किया गया है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 288/23 धारा 363/366 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

बरामद करने वाली पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा,
उ0नि0 उमेश कुमार,
का0 रोहित मिश्र,
म0आ0 चमन खातून – थाना ए0एच0टी0, आजमगढ़
का0 आलोक कुमार – सर्विलांस सेल, आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी हेतु अभियान निरन्तर जारी है।

प्रेस-नोट
जनपद – आजमगढ़
77वें गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट एवं शौर्यपूर्ण सेवाओं हेतु 03 पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को डीजीपी प्रशंसा चिन्ह सिल्वर से सम्मानित

77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जनपद आजमगढ़ के 03 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को उनकी कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण एवं शौर्यपूर्ण सेवाओं के लिए **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश** के **प्रशंसा चिन्ह सिल्वर** प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

➡ उक्त क्रम में **श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद आजमगढ़** को उनके **शौर्यपूर्ण एवं सराहनीय कार्यों** के आधार पर **पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc – SILVER)** प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

➡ इसी अवसर पर उत्कृष्ट कर्तव्य निर्वहन हेतु
- **आरक्षी चालक विक्रम सिंह** (अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़)
- **आरक्षी राहुल सिंह**, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

को **पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc – Silver)** प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

➡ यह सम्मान जनपद आजमगढ़ पुलिस के लिए गर्व का विषय है तथा अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत भी है।

➡ **जनपद आजमगढ़ पुलिस अपने सभी सम्मानित अधिकारियों एवं कर्मियों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देती है।**

प्रेस-नोट
जनपद – आजमगढ़
77वें गणतंत्र दिवस पर सेवा अभिलेख के आधार पर थाना प्रभारी दीदारगंज व रीडर एसएसपी को डीजीपी सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित

77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जनपद आजमगढ़ के थाना प्रभारी दीदारगंज व रीडर एसएसपी को उनकी सेवा अभिलेख के आधार **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश** के सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

➡ उक्त के क्रम में-
- **निरीक्षक राकेश कुमार सिंह** (प्रभारी निरीक्षक, थाना दीदारगंज, आजमगढ़)
- **उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद**, रीडर एसएसपी, जनपद आजमगढ़

को **पुलिस महानिदेशक का** सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

➡ यह सम्मान जनपद आजमगढ़ पुलिस के लिए गर्व का विषय है तथा अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत भी है।

➡ **जनपद आजमगढ़ पुलिस अपने सभी सम्मानित पुलिस अधिकारियों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देती है।**